


तारीख
इसे
में जा

कृष्ण कुमार बनाम मुन्शीराम वगैरे
मु0नं0 33/2022
दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक -01.04.2025 को वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा सूरजगढ जिला झुन्झुनू की सरहद में स्थित भूमि के ख.नं. 1184 रकबा 1.29 है0, कुल किता 01 कुल रकबा 1.29 है0 वाके मौजा सूरजगढ तहसील जिला झुन्झुनू मे पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।


(सुमन देवी या आर.ए.एस.)
सूरजगढ अधिकारी सूरजगढ
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्या:-33/2022
कृष्ण कुमार बनाम मुन्शीराम वगै०
निर्णय दिनांक:- 01.04.2025

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू
श्रीमती सुमन देवी ॥ (आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी:-

मु०नं० 33/2022

निर्णय दिनांक:- 01.04.2025


कृष्ण कुमार बनाम मुन्शीराम वगै०
दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 01.04.2025 को श्रीमती सुमन देवी ॥
उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया
जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

“अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है कि
वाके कस्बा सूरजगढ जिला झुन्झुनू के जमीन हाल खसरा नंबर 1184 रकबा 1.29 है० कुल
किता 01 कुल रकबा 1.29 है० स्थित राजस्व ग्राम सूरजगढ जिला झुन्झुनू में स्थित
तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है।
विभाजन प्रस्ताव निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ को आदेशित किया
जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल बरामद करे, रहन यदि कोई
हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज
किया जावे।”

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 01.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।


(श्रीमती सुमन देवी ॥ आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ
सूरजगढ